प्रकरण संख्या 45/2019 RCMS ID-2019/00266 तारीख रजु–13.12.2019

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

नारायण लाल पुत्र भूरालाल जाति जाटव निवासी कौंडर, तहसील करौली जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

सरकार – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्याय अनुभाग, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय करौली द्वारा पत्रांक 3750–88 दिनांक 27.05.2007 को यह आदेश पारित किया गया है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये थे एवं समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पुलिस थानों में जमा करवाये गये हथियारों को लाईसेन्स धारकों को वापस लौटाने के संबंध में जिले के सभी थानाधिकारियों एवं वृत्ताधिकारियों से जांच कराकर पत्रांक 2675 दिनांक 23.04.2010 द्वारा 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को छोड़कर शेष सभी के शस्त्र संबंधित को वापस लौटाये जाने की अनुशंषा की थी। इस कारण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा आदेश दिनांक 13.05.2010 द्वारा 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के लाईसेन्स निलंबित रखे जाकर शेष समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबन से बहाल कर दिये गये थे। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की अपील किये जाने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.02.2011 को प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे जिसकी पालना में पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 11587 दिनांक 18.11.2011 में अपीलार्थी के विरुद्ध थाना सदर करौली में अ.सं. 89/03 धारा 143/452/332/319 ता.हि. व 3 पीडीपीपी एक्ट–सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति की गई थी जिसके आधार पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र आदेश क्रमांक–न्याय/2012/499 दिनांक 10.01.2012 द्वारा निलंबित ही रखा गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पुनः अपील किये जाने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.11.2015 को प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे जिसकी पालना में पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 2982 दिनांक 16.05.2016 में अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र के बहाल किये जाने के आपत्ति जाहिर की गई जिसके आधार पर आदेश क्रमांक 2405 दिनांक 07.03.2017 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित ही रखा गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पुनः अपील किये जाने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2019 को प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि वे आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाण्ट के चरित्र, सक्षम अदालत के निर्णय, वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत स्पीकिंग आदेश पारित करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

जिला कलक्टर
करौली

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। विरुद्ध थाना सदर करौली में अ.सं. 89/03 धारा 143/452/332/319 ता.हि. व 3 पीडीपीपी एक्ट–सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण न्यायालय में लंबित था जिसके कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 12.03.2014 अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त शस्त्र का दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया है।

अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी का शस्त्र थाने में जमा है एवं अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। अंत में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल करने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–ल–1( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2020/5119 दिनांक 08.06.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या SBBL No. 11357 में दर्ज शस्त्र एक बन्दूक 12 बोर है दिनांक 28.12.2009 से थाना सदर करौली पर जमा मालखाना है एवं आवेदक के विरुद्ध मुकदमा नं. 89/2003 दिनांक 05.03.2003 धारा 147, 458, 332, 379 आई.पी.सी., 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में थाना कोतवाली करौली में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नं. 134 दिनांक 24.07.2003 धारा 143, 332, 379 आई.पी.सी. 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में पेश न्यायालय की गई। उक्त प्रकरण में श्री नारायण लाल को न्यायालय श्रीमान् ACJM करौली द्वारा दिनांक 12.03.2014 को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया है। अंत में अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति होना अंकित किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। आदेश दिनांक 3750–88 दिनांक 27.05.2007 द्वारा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जिले में समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये थे एवं समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 2675 दिनांक 23.04.2010 द्वारा 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को छोड़कर, जिनमें अपीलार्थी का नाम भी शामिल था, शेष सभी के शस्त्र संबंधित को वापस लौटाये जाने की अनुशंषा की थी। इस कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित रखा गया था। अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 28.12.2009 से थाना सदर करौली में जमा है। अपीलार्थी के विरुद्ध थाना सदर करौली में अ.सं. 89/03 धारा 143/452/332/319 ता.हि. व 3 पीडीपीपी एक्ट–सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें चार्जशीट नं. 134 दिनांक 24.07.2003 धारा 143, 332, 379 आई.पी.सी. 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में पेश न्यायालय की गई। उक्त प्रकरण में श्री नारायण लाल को न्यायालय श्रीमान् ACJM करौली द्वारा दिनांक 12.03.2014 को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया गया है। पूर्णतः दोषमुक्त नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त शस्त्र का दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अधीक्षक

जिला कलक्टर
करौली

करौली द्वारा भी अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति की गई है। इसलिये हम अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री नारायण लाल पुत्र भूरालाल जाति जाटव निवासी कौंडर, तहसील करौली जिला करौली राज. का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या SBBL No. 11357 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली